संख्या– /22—1030/2004–56 पर्य0/97

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 9 मार्च 2004

विषय:—नई टिहरी में तीरा शैयाओं के पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के संबन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–613/2–6–193/2002 दिनांक 13 मार्च, 2003 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नई टिहरी में पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु रू0 175.36 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त मात्र रू0 161.27 लाख औचित्यपूर्ण पायी है अतः तद्नुसार आगणनों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रथम चरण रू0 105.06 लाख के कार्यो हेतु अवशेष धनराशि रू0 1.395 लाख (रूपये एक लाख उन्तालीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त धनराशि इस आशय से अवमुक्त की जा रही है कि पर्यटक आवास गृह का प्रभावी उपयोग किया जा सके तथा भविष्य मे बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन न करने पर दायित्व का निर्धारण किया जा सकें।

3– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदो पर किया जायेगा जिसके लिय यह स्वीकृत की जा रही है मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही होगा। उक्त लागत के उपरान्त लागत में कोई पुनरक्षण अनुमन्य नही होगा। कार्य की समयबद्धता व गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

5– वित्तीय वर्ष के अन्त पर कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

6– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबन्धित विभाग के सक्षम अधिकरी एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विस्तृत आगणन/नक्शा आदि गठित कर कार्य करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

9- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

10-कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

12- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

13-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-01-पर्यटक आवास गृहो का निर्माण, चालू योजना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-2918/वित्त अनु0-3/2003, दिनांक 25 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- -प03उ0/2004-56पर्य0/97, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4- निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
5- जिलाधिकारी, टिहरी ।
6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी ।
7- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
8- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9- निदेशक एन0आई0सी0 सचिवाल परिसर देहरादून ।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

NIC